ACHIEVERS IAS ACADEMY

SUMMARY OF THE HINDU

FOR BPSC EXAMINATION

HINDI

DATE

25/07/2023

+91 8434931877, +91 7250667974

www.achieversiaspatna.co.in

New Patliputra Colony, Road No. 4A, Near Tennis Court, Patna-13

THE HINDU 25.07-2023 National

शीर्षक: शाह ने मणिपुर से कहा, सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार सदन में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए तैयार है क्योंकि देश को "राज्य में संवेदनशील स्थिति के बारे में सच्चाई" जानने की जरूरत है। श्री शाह ने यह बात तब कही जब विपक्ष सदन में पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा था।

लोकसभा अध्यक्ष ने भी विपक्ष पर जोर दिया कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और यह गृह मंत्री द्वारा किया जाएगा, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री से मणिपुर पर बोलने की मांग पर अड़ा रहा। श्री बिरला ने कहा, "पूरा सदन चर्चा के लिए तैयार है और सरकार बहस का जवाब भी देगी। लेकिन आप यह तय नहीं करेंगे कि बहस का जवाब कौन देगा।"

दोपहर में सरकार ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, नर्सिंग और मिडवाइफरी;औरसंविधान) अनुसूचितजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023।इसने डीएनएप्रौद्योगिकी (उपयोगऔरअनुप्रयोग) विनियमनविधेयक, 2019 कोवापसलेलिया।

.जब 2:30 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर और गृह मंत्री की ओर से मणिपुर पर चर्चा शुरू करने की अपील के बावजूद विपक्ष शांत नहीं हुआ।

शीर्षक: आप नेता सत्र के लिए निलंबित

AAP के राज्यसभा सदस्य और फ्लोर लीडर संजय सिंह को सोमवार को शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। जब प्रश्नकाल चल रहा था तो वह बार-बार पीएम मोदी से संसद में मणिपुर पर बोलने की मांग कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर कल शाम तक रोक लगा दी:

SC ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर बुधवार शाम 5 बजे तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। वाराणसी की एक अदालत ने यह पता लगाने के लिए "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" का आदेश दिया था कि क्या उसी स्थान पर मस्जिद के निर्माण से पहले कोई मंदिर संरचना थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक आदेश में परिसर के वज़ुखाना हिस्से को सील कर दिया था जहां शिव लिंग पाया गया था। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे से इनकार कर दिया था.याचिकाकर्ताकाकहनाथाकिसेशनकोर्टकाआदेश SC और HC केआदेशोंकेखिलाफहै. लेकिन हिंदू पक्ष ने बताया कि सर्वेक्षण "नॉन-इवेसिव" था और जीवन में कोई उत्खनन नहीं था।

सरकार ने 2022-23 में पीएफ जमा के लिए 8.15% ब्याज दर को मंजूरी दी

भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने सरकार को ब्याज दर 8.10% से बढ़ाकर 8.15% करने की सिफारिश की थी।

➡ शीर्षक: मणिपुर ने असम राइफल्स से म्यांमार से 718 शरणार्थियों को वापस भेजने को कहा।

मणिपुर सरकार ने सोमवार को असम राइफल्स से 22 और 23 जुलाई को अवैध रूप से राज्य में प्रवेश करने वाले 301 बच्चों सहित 718 म्यांमार नागरिकों को तुरंत "पीछे धकेलने" के लिए कहा। राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा बल से एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी कि कैसे "शरणार्थियों" को "अवैध रूप से प्रवेश" की अनुमति दी गई। असम राइफल्स ने चंदेल जिले के उपायुक्त को सूचित किया था कि म्यांमार के चिन राज्य के खम्पत में "चल रही झड़पों" के कारण, 22 और 23 जुलाई को कुल 718 नए शरणार्थी चंदेल के न्यू लाजंग क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे।

फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार के 40,000 शरणार्थियों ने शरण ली है।

Chandel district throuh which Naga got emigrated

➡ आवश्यक वस्तुएं लेकर पहली ट्रेन राज्य में पहुंची।

नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने आलू, चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के लिए पहली मालगाड़ी चलाई।, जिरीबाम इंफालन ईरेललाइनपरि योजना में प्याज और अन्य एफएमसीजी सामान।

चूँकि मणिपुर में माल ढुलाई कनेक्टिविटी नहीं थी, फिर भी घाटी नागालैंड के दीमापुर से इम्फाल तक जुड़ने वाले NH2 पर निर्भर थी। कुकियों द्वारा NH2 को 60 दिनों से अधिक समय तक अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे इम्फाल के घाटी क्षेत्रों में आपूर्ति प्रभावित हुई।

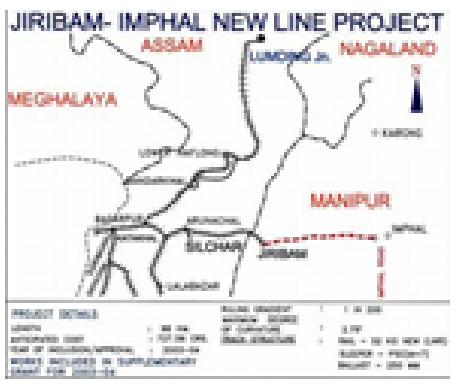

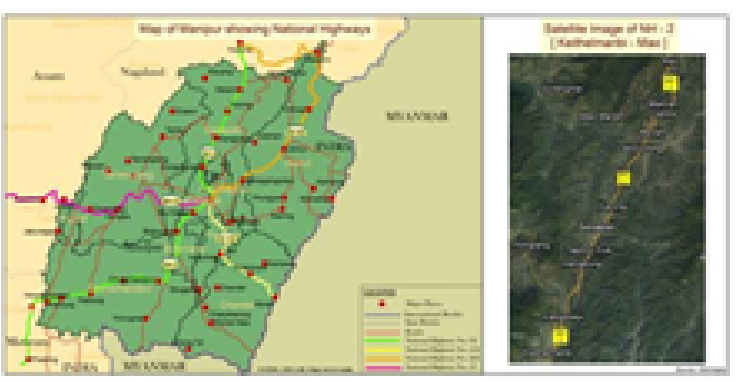

Jirbam Imphal new line

➡ SC ने रामनवमी हिंसा की एनआईए जांच के लिए बंगाल की याचिका खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनआईए जांच को बरकरार रखने वाले कैलकौट्रा हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केंद्र को तय करना है कि एनआईए का उपयोग कहां करना है।

एनआईए आम तौर पर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों की जांच करती है।

उम्मीदवारों से वचन लिए बिना कोई पुरस्कार नहीं: पैनल।

पर्यटन, परिवहन और संस्कृति पर संसद की स्थायी समिति ने सोमवार को राज्यसभा को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि संस्कृति मंत्रालय के तहत विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक निकायों को पुरस्कार देने के लिए यह वचन देना होगा कि पुरस्कार विजेता किसी भी राजनीतिक कारणों से पुरस्कार वापस नहीं करेगा, और यदि वह लौटाता है तो वह भविष्य में ऐसे किसी भी पुरस्कार के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

समिति ने पाया कि साहित्य अकादमी जैसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिए गए पुरस्कार अराजनीतिक प्रकृति के थे।"राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए, समिति का सुझाव है कि जब भी कोई पुरस्कार दिया जाए, तो प्राप्तकर्ता की सहमति अवश्य ली जानी चाहिए, ताकि वह राजनीतिक कारणों से इसे वापस न लौटाए; क्योंकि यह देश के लिए अपमानजनक है।"

ऐसी घटनाएं हुई हैं जब कई लोग अपने पुरस्कार लौटा रहे हैं।

हाउस पैनल ने पुरावशेषों के दस्तावेज़ीकरण की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की।

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने सोमवार को राज्यसभा में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्मारक और पुरावशेषों पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएमए), जिसे देश के स्मारकों और पुरावशेषों का दस्तावेजीकरण करने का अधिकार है, कुल 58 लाख में से केवल 16.8 लाख पुरावशेषों का दस्तावेजीकरण करने में सक्षम है।

एनएमएमए को 2007 में देशों के स्मारकों और पुरावशेषों का दस्तावेजीकरण करने के लिए लॉन्च किया गया था। बाद में 2017 में इसे एएसआई के साथ विलय कर दिया गया।

चोरी, पुरावशेषों की तस्करी एक बड़ी समस्या है। पिछले सप्ताह अमेरिका ने तस्करी की गई 105 पुरावशेष वस्तुएं भारत को सौंपीं।

राजस्थान में गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा।

राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला एक विधेयक पारित किया। बिल बिना किसी कठिनाई के पारित हो गया।

राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग श्रमिक (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक 2023 में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु हैं:

- गिग श्रमिकों के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसमें 13 सदस्य शामिल होंगे। 4 गिग वर्कर्स से, 4 एग्रीगेटर्स से और 3 राज्य सरकार से।
- गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. एक कल्याण कोषकी स्थापना की जाएगी, यह कोषएग्री गेटर्स सेगिगश्रमिकोंकेलि एक ल्याण शुल्क के रूप में शुल्क का एक प्रतिशत शुल्क लेगा। यह फंड गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मदद करेगा।
- गिग श्रमिकों और प्लेटफार्मों के बीच एक प्रभावी विवाद समाधान तंत्र।
- दंड खंड: बिल एग्रीगेटर पर जुर्माने की अनुमति देता है, किसी भी खंड का उल्लंघन करने पर एग्रीगेटर पर ₹5 लाख से ₹50 लाख के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है।
- गिग वर्कर वे होते हैं जो ऑनलाइन ऐप्स से जुड़कर सेवाएं प्रदान करते हैं।
- उदाहरण ज़ोमैटो और स्विगी के फूड डिलीवरी बॉय हैं। ओला, उबर, रैपिडो ड्राइवर, अर्बन क्लैप और इसी तरह की सेवा प्रदान करता है।

उपग्रह में सिंथेटिक रडार एपर्चर दिन और रात की सभी कवरेज प्रदान करता है।

उदाहरण ज़ोमैटो और स्विगी के फूड डिलीवरी बॉय हैं। ओला, उबर, रैपिडो ड्राइवर, अर्बन क्लैप और इसी तरह की सेवा प्रदान करता है।

इसरो सिंगापुर के नए इमेजिंग उपग्रह को लेकर सी 56 लॉन्च करेगा।

C56 को 30 जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। यह छह उपग्रहों को ले जाता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सिंगापुर का डीएस एसएआर है, एक 360 किलोग्राम वजनी उपग्रह को 535 किमी की ऊंचाई पर भूमध्यरेखीय कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। उपग्रह में सिंथेटिक रडार एपर्चर दिन और रात की सभी कवरेज प्रदान करता है।

डीएस एसएआर को सिंगापुर सरकार और एसटी इंजीनियरिंग की साझेदारी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है

World

इज़राइल के विवादास्पद न्यायिक सुधार विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई।

इजराइल की संसद ने सोमवार को न्यायिक सुधार विधेयक को मंजूरी दे दी।120 सदस्यीयनेसेटनेविधेयककेपक्षमें 64 वोटदिये। नेसेट में विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद बिल पास हो गया.

इसराइल ने हाल के महीनों में इस बिल के खिलाफ अपने लोगों का भारी विरोध देखा है। इससे गुजरने से स्थिति और भी खराब हो सकती है.विपक्षीनेतायायरलैपिडनेकहाकिदेश "एकआपदाकीओर" सुनरहाहै।

न्यायिक सुधार विधेयक, अब एक कानून है जो सरकार के निर्णयों और कानूनों की न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित करता है। इस बिल का एक प्रमुख विवादास्पद मुद्दा.

अनिर्णायक वोट से स्पेन में राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो गई है।

स्पेन के आम चुनाव में 100 फीसदी वोटों की गिनती हो चुकी है

Party name	Leader	Seat won
People's party	Alberto Nunej Feijo	136
Spanish Social workers party	Pedro Sanchez	122
Vox	Santiago Abascal	33
Sumar	Yolanda Diaz	31

नतीजे हनफ संसद को दर्शाते हैं। कुल 350 सीटों के साथ, सरकार बनाने के लिए 176 सीटों की आवश्यकता है। वोक्स के साथ पीपुल्स पार्टी के गठबंधन को केवल 169 सीटें मिलीं, जबकि सोशलिस्ट पार्टी और सुमार के गठबंधन को केवल 156 सीटें मिलीं। 10 से कम सीटों वाली कई क्षेत्रीय पार्टियां सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। यह स्पष्ट नहीं है कि वे किस तरह से सीखेंगे, लेकिन पीपुल्स पार्टी के लिए संभावना अधिक दिखती है।

➡ मॉस्को और क्रीमिया पर ड्रोन हमला; रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के बंदरगाहों पर बमबारी की।

मॉस्को के मेयर ने पुष्टि की कि दो यूक्रेनी ड्रोनों ने मॉस्को में रक्षा मुख्यालय के पास इमारतों पर हमला किया। दूसरी ओर रूस ने डेन्यूब नदी के पास बंदरगाह क्षेत्र पर मिसाइलों की बौछार कर दी, जिससे हैंगर और एक अन्य कार्गो सुविधा नष्ट हो गई।

सम्पादकीय- 1

अभी भी अधूरा है

श्रीलंका के साथ भारत के संबंध तमिल प्रश्न से बंधे हैं।

➡ संपादकीय के बारे में:

संपादकीय में श्रीलंका के राष्ट्रपति की हालिया भारत यात्रा के बारे में चर्चा की गई है जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। संपादकीय में कहा गया है कि इसके बावजूद कुछ विवादास्पद मुद्दे जस के तस बने हुए हैं।

➡ समझौतों पर हस्ताक्षर:

श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे पिछले सप्ताह भारत की यात्रा पर थे। "भारत-श्रीलंका आर्थिक साझेदारी विजन: कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, समृद्धि को उत्प्रेरित करना" नामक संयुक्त बयान पांच क्षेत्रों में दृष्टि के बारे में बात करता है: समुद्री, वायु, ऊर्जा, व्यापार और लोगों से लोगों का संपर्क।

समुद्री और हवाई कनेक्टिविटी: इसमें श्रीलंका में बंदरगाहों और हवाई अड्डों का विकास, नौका सेवाओं को फिर से शुरू करना और तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों की हवाई कनेक्टिविटी शामिल होगी।

ऊर्जा: श्रीलंका में सौर और पवन पार्क विकसित करना।

व्यापार: श्रीलंका में यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू करना। और रुपये को व्यापारिक मुद्रा बनाने के लिए काम करें लोगों से लोगों के बीच संपर्क: पर्यटन, सांस्कृतिक और धार्मिक यात्रा और शैक्षिक सहयोग बढ़ाना।

➡ क्या कमी है :

संयुक्त बयान में तमिलों की स्थिति जैसे विवादास्पद मुद्दों और इसके लिए अनुच्छेद 13 ए के कार्यान्वयन के बारे में बात नहीं की गई जो श्रीलंका में स्थानीय चुनावों की बात करता है। श्रीलंकाई जेलों में बंद मछुआरों के मुद्दों का समाधान नहीं किया गया है।

हालांकि पीएम मोदी ने अपने बयान में 13ए की बात कही.विक्रम सिंघेने इनमें से किसीके बारे में बात नहीं की। रिश्ते को और अधिक सहज बनाने के लिए इन मुद्दों का सौहार्दपूर्ण समाधान आवश्यक है

सम्पादकीय- 2

कभी न ख़त्म होने वाली गाथा

दिल्ली पर शासन करने को लेकर लगातार चल रहे विवाद में कानूनी खींचतान का एक और दौर इंतजार कर रहा है।

संपादकीय के बारे में:

संपादकीय में एनसीटी दिल्ली से जुड़ी नई अदालती खींचतान की बात कही गई है। SC ने हाल ही में AAP द्वारा दिल्ली अध्यादेश मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया। संपादकीय इस बारे में बात करता है कि प्रत्येक पक्ष को क्या लाभ होता है।

एनसीटी दिल्ली के बारे में:

यह है। हाल के वर्षों में तीसरी संवैधानिक पीठ दिल्ली मामले की सुनवाई करेगी।

दिल्ली की विशेष स्थिति (अनुच्छेद 239) ने भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को राज्य सूची के विषयों को केंद्र के नियंत्रण में दे दिया है।

राज्य सूची में विषय 41 राज्य सार्वजनिक सेवाएँ हैं जो दिल्ली सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए। चूंकि दिल्ली के मामले में "सेवाओं" को राज्य की शक्ति से छूट नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा कि चूंकि "सेवाएं" राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं इसलिए यह दिल्ली सरकार के अधीन होंगी।

केंद्र ने अध्यादेश के जरिये 'सेवाओं' को लेफ्टिनेंट गवर्नर के नियंत्रण में ला दिया.सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि क्या अध्या देशलाने से संविधान में संशोधन होता है। आप सरकार ने हवाला दिया है कि यह संवैधानिक संशोधन है, अनुच्छेद 239एए के अनुसार, संघ द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा।

यह देखना दिलचस्प होगा कि संवैधानिक पीठ इन पर क्या गौर करती है और क्या फैसला सुनाती है.